

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12.05.2025	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। R.M.R. Case No.- 13/2015-16 हाकिम मियाँ एवं अन्य बनाम समसुल मियाँ एवं अन्य आदेश यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Mice. Case No.-30/2010-11 में दिनांक-23.07.2010/ 01.10.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Rev. Mice. Case No.-30/2010-11 में दिनांक-23.07.2010/ 01.10.2010 के पारित आदेश द्वारा समसुल मियाँ के आवेदन पर प्रधानी पट्टा के मामले पर अमीन प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् संचिकास्त किया गया है। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। उभयपक्ष द्वारा दिनांक-24.12.2024 को दाखिल किये गये संयुक्त सुलहनामा आवेदन का अवलोकन किया गया। विज्ञ अधिवक्ताओं का कहना है कि पक्षकारा (वादी) द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Mice. Case No.-30/2010-11 में दिनांक-23.07.2010/ 01.10.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद दायर किया गया। पक्षकार (वादी) सं0-3 जमरुद्धीन मियाँ के मृत्यु हो जाने के कारण उसके पुत्र सहिद अंसारी के नाम प्रतिस्थापन हेतु दिनांक-24.12.2024 को दाखिल Substitution Petition के अनुसार स्व0 जमरुद्धीन मियाँ के स्थान पर उसके पुत्र सहिद अंसारी के नाम प्रतिस्थापित किया जाता है। सुलहनामा आवेदन एवं उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के कथनानुसार मौजा-मुचियाडीह के खाता सं0-1435 एवं 1437 के प्रधानी पट्टा द्वारा प्राप्त प्रश्नगत भूमि का उभयपक्ष द्वारा ग्राम में सामान रूप से बँटवारा कर लिया गया है एवं वर्तमान में उनके बीच का विवाद सुलह हो गया है। उभयपक्ष एक दूसरे के सगे भाई एवं भतीजा होने के कारण वाद की कार्यवाही में अभिरुची नहीं रखते हैं। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वाद की कार्यवाही समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल संयुक्त आवेदन के अनुसार वाद की अग्रेतर कार्यवाही में उभयपक्ष को अभिरुची नहीं है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Mice. Case No.-30/2010-11 में दिनांक-23.07.2010/ 01.10.2010 को पारित आदेश यथावत् रखते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त, जामताड़ा।  उपायुक्त, जामताड़ा।	Seen Mg. P. M. Singh 6/5/2025